राजस्थान सरकार

सूचना एवं जनसम्पर्क कार्यालय,झुंझुनू

मतदान दलों का प्रशिक्षण कार्यक्रम

झुंझुनू, 7 जनवरी: जिला निर्वाचन अधिकारी आलोक गुप्ता ने एक आदेश जारी कर जिले में पंचायत आम चुनाव सम्पन्न कराने के लिए मतदान दलों एवं मतदान अधिकारियों को विभिन्न स्थलों पर प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की है। आदेशानुसार 10 जनवरी को जे.के. मोदी रा.बा.उ.मा.विद्यालय झुंझुनू, डालमिया बा.उ.मा. चिड़ावा, जयसिंह उच्च मा.विद्यालय खेतड़ी, राजकीय बा.उ.मा.विद्यालय उदयपुरवाटी, पंचायत समिति के सभा कक्ष, पोदार कॉलेज नवलगढ़ में, 16 जनवरी को सूचना केन्द्र झुंझुनू के सभा भवन में, 17 जनवरी को जे.के. मोदी रा.बा.उ.मा.वि. झुंझुनू, डालमिया बा.उ.मा. वि. चिड़ावा, जयसिंह उच्च मा.विद्यालय खेतड़ी, राजकीय बा.उ.मा.विद्यालय उदयपुरवाटी, पंचायत समिति के सभा कक्ष, पोदार कॉलेज नवलगढ़ में, 19 जनवरी को सेठ मोतीलाल कॉलेज झुंझुनू, पंचायत समिति सूरजगढ़ में, 24 जनवरी को आदर्श केशव विद्या मंदिर झुंझुनू में तथा 28 जनवरी को सेठ मोतीलाल कॉजेज झुंझुनू, पंचायत समिति बुहाना एवं पंचायत समिति उदयपुरवाटी में प्रशिक्षण विशेषज्ञों द्वारा दिया जायेगा।

मतदान के लिए मतदाता सत्रह वैकल्पिक दस्तावेज पेश कर सकेंगे

झुंझुनू, 7 जनवरी: जिले में तीन चरणों में होने वाले पंचायत चुनाव में मतदान में यद्यपि प्रत्येक मतदाता को अपनी पहचान के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता फोटो पहचान पत्र दिखाना आवश्यक है तथापि जिनके पास यह पहचान पत्र नहीं है उनकी पहचान के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने सत्रह वैकल्पिक दस्तावेज निर्धारित किये हैं जिनमें से कोई भी एक दस्तावेज दिखाकर मतदाता मतदान कर सकेगा। ये वैकल्पिक दस्तावेज भी फोटो सहित होने पर ही मान्य होंगे।

जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर) आलोक गुप्ता ने बताया कि मतदाता पहचान के लिए इनमें से कोई एक फोटो युक्त दस्तावेज स्वीकार होगा- (1) पासपोर्ट (2) ड्राईविंग लाईसेन्स (3) आयकर विभाग का पी.ए.एन. कार्ड (4) सरकारी विभाग/संस्थान, सार्वजनिक उपक्रम, स्थानीय निकाय, पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कार्मिकों को जारी फोटो युक्त सेवा पहचान पत्र (5) बैंकों/डाकघरों द्वारा जारी फोटो युक्त पास बुक व किसान पास बुक (6) फोटो युक्त सम्पति दस्तावेज यथा पट्‌टे, रजिस्टर्ड डीड आदि (7) सक्षम अधिकारी द्वारा जारी फोटो युक्त जाति प्रमाण पत्र (8) भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक, पेंशन अदायगी आदेश, सैनिक विधवा/आश्रित प्रमाण पत्र, वद्धावस्था/विधवा पेंशन आदेश (सभी फोटो युक्त) (9) स्वतन्त्रता सेनानी फोटो पहचान पत्र (10) फोटो युक्त शस्त्र लाईसेन्स (11) सक्षम अधिकारी द्वारा जारी फोटो युक्त विकलांगता प्रमाण पत्र (12) फोटो युक्त नरेगा जोब कार्ड (13) फोटो युक्त स्वास्थ्य

बीमा योजना स्मार्ट कार्ड (14) फोटो युक्त राशन कार्ड (15) सक्षम अधिकारी द्वारा जारी फोटो युक्त बी.पी.एल. परिवार कार्ड (16) सक्षम अधिकारी द्वारा जारी फोटो युक्त विद्यार्थी पहचान पत्र (17) सक्षम अधिकारी द्वारा जारी फोटो युक्त मूलनिवास प्रमाण पत्र। इन वैकल्पिक दस्तावेजों में शामिल सभी तरह के प्रमाण पत्र/ कार्ड आदि निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व जारी होने चाहिए। यदि किसी परिवार का मुखिया अपना वैकल्पिक दस्तावेज लेकर आता है तो मतदान के लिए साथ आने वाले उसके परिजनों को भी मतदान की अनुमति दी जाएगी।

......2.....

पंचायत आम चुनावः प्रथम दिन पांच जनों ने परचे भरे

झुंझुनू, 7 जनवरीः पंचायत आम चुनावों के लिए गुरूवार को लोक सूचना जारी होने के साथ ही नामांकन पत्र दाखिल करने का कार्य प्रारम्भ हो गया। पंचायत चुनाव के जिला नियंत्रण कक्ष से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रथम दिन जिला परिषद के निर्वाचन क्षेत्र संख्या 5 से एक व्यक्ति ने अपना परचा दाखिल किया जबकि पंचायत समिति सदस्य के लिए पंचायत समिति बुहाना व खेतड़ी में एक-एक तथा उदयपुरवाटी पंचायत समिति सदस्य के लिए दो लोगों ने अपने परचे दाखिल किये। पंचायत समिति अलसीसर, चिड़ावा, सूरजगढ़, नवलगढ़ एवं झुंझुनू से एक भी नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया गया है।

गणतन्त्र दिवस समारोह में ग्रामीण जन प्रतिनिधि झण्डा रोहण नहीं कर सकेंगे

झुंझुनू, 7 जनवरीः पंचायत आम चुनाव में आदर्श आचरण संहिता के दौरान जिले में गणतन्त्र दिवस समारोह में ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों एवं जिला परिषद में पंच-सरपंच, प्रधान-उप प्रधान एवं जिला प्रमुख एवं उप जिला प्रमुख झण्डा रोहण नहीं कर सकेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर) आलोक गुप्ता ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मंत्रीगण द्वारा भी गणतन्त्र दिवस समारोह में अपने भाषण के दौरान राजनैतिक दलों प्रचार नहीं कर सकेंगे तथा गणतन्त्र दिवस समारोह को राजनैतिक दल या किसी अभ्यर्थी के प्रचार-प्रसार का प्लेट फार्म नहीं बना सकेंगे। उन्होंने बताया कि भाषण केवल राष्ट्रीय गरिमा एवं शहीदों स्मृति आदि से संबंधित ही होंगे।

सभी मतदान अधिकारी पल्स पोलियों की ड्यूटी करेंगे

झुंझुनू, 7 जनवरी: पल्स पोलियो अभियान में 10 जनवरी को जिन मतदान अधिकारियों व प्रथम मतदान अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है वे अपने ड्यूटी पल्स पोलियो में देंगे। अपर जिला कलेक्टर के.एल. मीणा ने बताया कि पंचायत आम चुनाव के प्रथम प्रशिक्षण 10 जनवरी के स्थान पर पल्स पोलियो में नियुक्त सभी अधिकारी द्वितीय प्रशिक्षण में 17 जनवरी को प्रशिक्षण ले सकेंगे।

पोलियो बूथ पर सहयोग के लिए विद्यार्थियों को लगाने के निर्देश

झुंझुनू, 7 जनवरी: जिला शिक्षा अधिकारी (मा.) बीरबल सिंह ने जिले के सभी राजकीय, निजी एवं अनुदानित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों के संस्था प्रधानों से कहा है कि वे पल्स पोलियो अभियान के दौरान 10 जनवरी 2010 व 17 फरवरी 2010 को विद्यालयों को खुला रखे तथा प्रत्येक पोलियो बूथ पर 10-10 विद्यार्थियों को 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को घर से बूथ पर लाने हेतु सहयोग करने के लिए पाबन्द करने एवं इस कार्य की मॉनिटरिंग स्कूल के अध्यापक से कराने की हिदायत दी है।